

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खंड-2 में प्रकाशनार्थ)

संख्या 14015/13/2009-अ.भा.से.(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


\* \* \*

नई दिल्ली; दिनांक : 18 जनवरी, 2012

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत राज्य सरकार के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित चयन सूची वर्ष 2008-क (2008 की रिक्तियों के लिए) की रिक्तियों के लिए मध्य प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री नारायण प्रसाद दहेरिया (अनुसूचित जाति) को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेश तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अंतर्गत उन्हें मध्य प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं।

2. चयन समिति की सिफारिशों, श्री निसार अहमद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर के समक्ष दायर की गई रिट याचिका सं. 3532/2011 के अंतिम परिणाम के अध्यक्षीन हैं।

  
(एस. एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)